फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालतः अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

मदनलाल वगैरा बनाम अध्यक्ष जल उपभोक्ता संगम पीटीडी नहर व अधिशाषी अभियन्ता सूरतगढ

विविध प्रकरण सं0 04/2025

अधिवक्ता प्रार्थी :-- जगमोहन आहुजा अधिवक्ता अधिवक्ता:--

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
09.12.2025	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विविध प्रार्थना पत्र बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। विविध प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर कथन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व नियम 5 राजस्थान सिंचाई व जल निकासी अधिनियम , 1955 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर सनुवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान न्यायालय को है क्योंकि जिला कलक्टर समकक्ष अति0 जिला कलक्टर न्यायालय है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व नियम 5 राजस्थान सिंचाई व जल निकासी अधिनियम , 1955 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर स्थगन की इस्तदुआ स्वीकार की जावें। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व नियम 5 राजस्थान सिंचाई व जल निकासी अधिनियम , 1955 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व नियम 5 राजस्थान सिंचाई व जल निकासी अधिनियम , 1955 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होकर माननीय जिला कलक्टर को है। अतः अधिवक्ता अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 24 व नियम 5 राजस्थान सिंचाई व जल निकासी अधिनियम , 1955 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को न होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर की जाकर नम्बर कम की जावें एवं बाद तकमील जिला अभिलेखागार में जमा करवाई जावें। आदेश सुनाया गया। (सुभाष कुमार) अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0) श्रीगंगानगर	

Scanned with OKEN Scanner